



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

16 माघ 1937 (श0)  
(सं0 पटना 116) पटना, शुक्रवार, 5 फरवरी 2016

---

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचनाएं

5 फरवरी 2016

सं० एल०जी०-01-02/2016/07 लेज:—भारत संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) के अधीन बिहार-राज्यपाल द्वारा दिनांक 5 फरवरी 2016 को प्रख्यापित निम्नलिखित अध्यादेश इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार,

सरकार के सचिव ।

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम-6, 2006) का संशोधन करने के लिए  
अध्यादेश।

**प्रस्तावना:-** चूँकि, बिहार राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं है, और चूँकि बिहार-राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम-6, 2006) का, इसमें आगे वर्णित रीति से, संशोधन करने हेतु उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब, भारत-संविधान के अनुच्छेद-213 के खण्ड-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।-** (1) यह अध्यादेश बिहार पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2016 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा, सिवाय उन क्षेत्रों के जहाँ बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम-11, 2007) या कैन्टोनमेन्ट अधिनियम, 1924 (अधिनियम-II, 1924) के उपबंध लागू हैं।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार अधिनियम-6, 2006 की धारा-136 में संशोधन।-** उक्त अधिनियम, 2006 की धारा-136 की उप-धारा (1) के खण्ड-(अ) के बाद खण्ड-(ट) एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।

पटना:

(ह0) रामनाथ कोविन्द

दिनांक: 05 फरवरी, 2016

बिहार-राज्यपाल।

भारत संविधान के अनुच्छेद-213 के खण्ड(1) के अधीन मैंने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया है।

पटना:

(ह0) रामनाथ कोविन्द

दिनांक: 05 फरवरी, 2016

बिहार-राज्यपाल।

5 फरवरी 2016

सं० एल०जी०-०१-०२/२०१६/०८ लेजः—बिहार—राज्यपाल द्वारा 5 फरवरी 2016 को प्रख्यापित बिहार पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश 2016 (बिहार अध्यादेश संख्या 2, 2016) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार,

सरकार के सचिव।

**THE BIHAR PANCHAYAT RAJ (AMENDMENT) ORDINANCE, 2016  
(BIHAR ORDINANCE NO. 2, 2016)**

**AN  
ORDINANCE**

**TO AMEND THE BIHAR PANCHAYAT RAJ ACT, 2006 (BIHAR ACT-6, 2006)**

**Preamble:-** WHEREAS, the Legislature of the State of Bihar is not in session;  
AND, WHEREAS, The Governor of Bihar is satisfied that the circumstance exist which render it necessary for him to take immediate action to amend the BIHAR PANCHAYAT RAJ ACT, 2006 (Bihar Act-6, 2006), in the manner hereinafter appearing;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to promulgate the following Ordinance:-

**1. Short Title, Extent and Commencement.-** (1) This Ordinance may be called the Bihar Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 2016.

2. It shall extent to the whole of the State of Bihar excepting the areas to which the provisions of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act-11 of 2007) or Cantonment Act, 1924 (Act-II of 1924) apply.

(3) It shall come into force at once.

**2. Amendment in Section 136 of the Bihar Act-6, 2006.-**The Clause (k) after Clause (j) of Sub-Section (I) of Section 136 of the said Act, 2006, is hereby deleted.

Patna :  
Dated : 5<sup>th</sup> February, 2016.

(Sd.) Ram Nath Kovind  
Governor of Bihar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 116-571+400-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>